## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सा.का.नि. 37.—बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम,2002 (2002 का 39) तथा संशोधन (2023 का 11) की धारा 45 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,केंद्र सरकार एतद्वारा सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं , अर्थात्:-

(i) श्री देवेन्द्र कुमार सिंह - अध्यक्ष ;

[फा. सं. L-11012/07/2023-L&M]

अमित कुमार रावत, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by section 45 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002, (39 of 2002) and amendment (11 of 2023), the Central Government hereby establishes the Co-operative Election Authority consisting of the following, namely:-

(i) Shri Devendra Kumar Singh

- Chairperson;

[F. No. L-11012/07/2023-L&M]

AMIT KUMAR RAWAT, Under Secy.